कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

दिनांक 26 मार्च, 2023

संख्या 220 / प्र0अ0 / सि0वि0 / बजट / बी–1 / आवंटन / कैम्प

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश ई पत्रावली संख्या 12992/I/109993/2023, दिनांक 25.03.2023 द्वारा पूंजीलेखा के अनुदान संख्या–20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0 / भूमि अधिग्रहण (53–वृहद निर्माण) मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हेतु National Tiger Consrvation Authority (NTCA) से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में परियोजना के पारिस्थितिकीय प्रभाव का आकलन करने हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 14.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये ₹ 14.40 लाख (रूपये चौदह लाख चालीस हजार मात्र) का प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 14.40 लाख का मुख्य अभियन्तावार / खण्डवार / मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	मद का विस्तृत विवरण / कार्य का नाम / मुख्य अभियन्ता / खण्ड का नाम	स्वीकृत लागत	आवंटित धनराशि
क	20 / 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0 / भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि 00–53–वृहद निर्माण (4700–80–001–04–00–53)		
	मुख्य अभियन्ता स्तर–2, हल्द्वानी		
	जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी (पी0आई0यू0 जमरानी बाँध के निवर्तन पर रखा जायेगा)		
1	जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हेतु National Tiger Consrvation Authority (NTCA) से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में परियोजना के पारिस्थितिकीय प्रभाव का आकलन करने हेतु।	14.40	14.40
	योग	**14.40**	**14.40**

(रूपये चौदह लाख चालीस हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश ई पत्रावली संख्या 12992/I/109993/2023, दिनांक 25.03.2023 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी कार्य के लिये किया जाय, जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है । धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा ।
3. धनराशि व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–236 / XXVII(1)/2022/91(50)-2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश सं0 391 / 09(150) – 2019 / XXVII(1)/2022, दिनांक 24.06.2022 में निर्धारित शर्तों के साथ–साथ बजट मैन्युल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है। वे कार्य किसी अन्य योजना / विभाग से वित्त पोषित / स्वीकृत न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

6. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धो एवं उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो वस्तुस्थिति से इस कार्यालय से तत्काल स्पष्ट करा ली जाय ।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 220 / प्र0अ0 / बजट / बी–1 / तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून ।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।

26.3.23

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता